Maharaja Agrasen Institute of Management Studies

14.07.2023

Important Notice Regarding Admissions under Management Quota 2023-24

We would like to inform all aspiring candidates who wish to seek admission under the Management Quota for various programs that the following points should be noted:

- 1. Admissions under the management quota for the academic session 2023-24 in various programs will strictly adhere to the provisions of the Delhi Professional Colleges or Institutions Act 2007.
- 2. The Institute's online portal for registration cum enrolment has been active since July 5, 2023, and will remain open until July 31, 2023 (5:00 PM). If you encounter any issues during the registration process using the Institute's online portal, you can personally meet the Director/Dean of the Institute for rectification on all working days from 10:00 AM to 11:00 AM (Monday to Friday).
- 3. It is the sole responsibility of the aspirant to ensure that they fulfil the minimum eligibility criteria in the programmes they seek admission.
- 4. Online Registration by paying registration cum enrolment fee does not entitles the aspirant admitted against Management Quota Seat as the same shall be done on the basis of merit.
- 5. The aspirant if desirous to participate for taking admission under Management Quota seat in more than one programme is required to apply/register separately through the Institute online portal.
- 6. We advise the aspirants not to solely rely on the management quota admissions as the number of seats available through this quota is only 10% of the total intake. These seats will be filled based on merit, considering the aggregate marks obtained in the qualifying exams. Therefore, it is highly recommended to actively participate in the centralized counselling conducted by GGSIPU for the remaining 90% seats. The probability of securing a seat is higher when applying through the centralized counselling against the 90% seats.
- 7. The information provided highlights the allocation of seats under the management quota in a specific region. It mentions that out of the total 10% seats available under the management quota, 85% of the seats are allocated for the Delhi Region, and the remaining 15% seats are allocated for the Outside Delhi Region.
 - For the seats allocated to the Delhi Region, there is a reservation policy in place. Out of the total management seats for Delhi, 17% are reserved for DSC, 1% for DST, 5% for DDEF, and 5% for DPWD. Similarly, for the seats allocated to the Outside Delhi Region, there is also a reservation policy. Out of the total management seats for the Outside Delhi Region, 15% are reserved for ODSC, 7.5% for ODST, 5% for ODDEF, and 5% for ODPWD.
- 8. The information provided in points 6 and 7 indicates that obtaining a seat under the management quota can be challenging due to the reservation policies and limited number of available seats. The allocation of seats under the management quota favors specific categories and regions, which further reduces the chances of securing a seat. Therefore, it is crucial to engage in critical thinking and make intelligent and well-informed decisions when selecting seats, whether it is through centralized counselling or the management quota. Considering the reservation policies and the

- competition for seats, applicants should carefully assess their eligibility, preferences, and available options to maximize their chances of securing admission.
- 9. As per the notification/brochure released by GGSIPU regarding Admissions 2023-24, we understand that the University aims to complete all admissions by July 31, 2023, for all programs.
- 10. The admission process under the management quota will take place between August 1 and 9, 2023, after the completion of the admission process by GGSIPU.

For any further updates or notifications, please regularly visit the Institute and GGSIPU websites.

If you have any discrepancies or need clarification, feel free to meet the Director/Dean in person, referring to the details mentioned in Point No. 1 above.

Director/Dean

महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज

14.07.2023

प्रबंध कोटा 2023-24 के तहत प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण सूचना

हम सभी उम्मीदवारों को सूचित करना चाहेंगे जो विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रवेश चाहते हैं, कि निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए:

- 1. विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत एकेडिमक सत्र 2023-24 में प्रबंध कोटा के तहत प्रवेश, दिल्ली पेशेवर कॉलेजों या संस्थानों के अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
- 2. इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन कम एनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन पोर्टल 5 जुलाई, 2023 से सक्रिय हो गया है और 31 जुलाई, 2023 (5:00 बजे शाम) तक सक्रिय रहेगा। यदि आप इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो आप सीधे इंस्टीट्यूट के निदेशक / डीन से मिल सकते हैं ताकि संशोधन किया जा सके। सभी कार्यकारी दिनों में सुबह 10:00 बजे से शाम 11:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)।
- 3. उम्मीदवार की यह एकमात्र जिम्मेदारी है कि वह प्रावेश के लिए उन कार्यक्रमों में न्यूनतम पात्रता मानदंड पुरा करता है जिनमें वह प्रवेश चाहता है।
- 4. पंजीकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम एनरोलमेंट शुल्क का भुगतान करके उम्मीदवार को प्रबंध कोटा सीट के तहत दाखिला नहीं कराता है, क्योंकि इसे मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
- 5. यदि उम्मीदवार एक से अधिक कार्यक्रमों में प्रबंध कोटा सीट के तहत दाखिला लेने के इच्छुक हैं, तो उन्हें इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग आवेदन / पंजीकरण करना होगा।
- 6. हम उम्मीदवारों को सलाह देते हैं कि वे प्रबंध कोटा प्रवेश पर केवल निर्भर न करें, क्योंकि इस कोटा के माध्यम से उपलब्ध सीटों की संख्या केवल कुल प्राप्ति का 10% है। इन सीटों को मेरिट के आधार पर भरा जाएगा, जिसमें योग्यता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड मार्क्स को मध्य गणना की जाएगी। 90% सीटों के लिए बचे हुए सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में GGSIPU द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेना काफी अधिक सिफारिश किया जाता है। 90% कोटा के खिलाफ सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के माध्यम से आवेदन करने पर सीट प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है।
- 7. प्रदान की गई जानकारी एक विशेष क्षेत्र में प्रबंधन कोटा के तहत सीटों का आवंटन पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें कहा गया है कि प्रबंधन कोटा के तहत कुल 10% सीटों में से 85% सीटें दिल्ली क्षेत्र के लिए आवंटित की जाती हैं। किली क्षेत्र के लिए आवंटित की जाती हैं। दिल्ली क्षेत्र के लिए आवंटित सीटों के लिए, एक आरक्षण नीति प्रारूप में है। दिल्ली के लिए कुल प्रबंधन सीटों में से 17% डीएससी के लिए, 1% डीएसटी के लिए, 5% डीडेफ के लिए और 5% डीपीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित हैं। उसी तरह, बाहरी दिल्ली क्षेत्र के लिए आवंटित सीटों के लिए भी एक आरक्षण नीति है। बाहरी दिल्ली क्षेत्र के कुल प्रबंधन सीटों में से 15% ओडीएससी के लिए, 7.5% ओडीएसटी के लिए, 5% ओडीडफ के लिए और 5% ओडीपीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित हैं।
- 8. बिंदु 6 और 7 में प्रदान की गई जानकारी इस बात का संकेत देती है कि आरक्षण नीतियों और उपलब्ध सीटों की सीमितता के कारण प्रबंधन कोटा के तहत सीट प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रबंधन कोटा के तहत सीटों का आवंटन विशेष श्रेणियों और क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है, जो सीट प्राप्ति के अवसरों को और भी कम कर देता है। इसलिए, सीट चयन के संदर्भ में तर्कसंगत सोचने और बुद्धिमान/सही निर्णय लेने का

महत्व अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह केंद्रीकृत परामर्श या प्रबंधन कोटा के माध्यम से हो। आरक्षण नीतियों और सीटों के लिए प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए, आवेदकों को अपनी पात्रता, प्राथमिकताएं और उपलब्ध विकल्पों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, तािक उनकी प्रवेश प्राप्ति के अवसरों को अधिकतम कर सकें।

- 9. GGSIPU के द्वारा 2023-24 के प्रवेशों के संबंध में जारी अधिसूचना/ब्रोशर के अनुसार हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि सभी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश 31 जुलाई, 2023 तक पूरे किए जाएं।
- 10. प्रबंध कोटा के तहत प्रवेश प्रक्रिया 1 अगस्त से 9 अगस्त, 2023 के बीच होगी, GGSIPU द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद।

आगामी अद्यतन या सूचनाओं के लिए, कृपया नियमित रूप से इंस्टीट्यूट और GGSIPU वेबसाइट पर जाएं। यदि आपको कोई असंगति हो या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो कृपया नियमित रूप से इंस्टीट्यूट के निदेशक / डीन से मिलें, पॉइंट नंबर 1 में उल्लिखित विवरणों का संदर्भ लें।

निदेशक / डीन